बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-326/2016 – 537 /पटना, दिनांक– 20.6.18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, **मधुबनी** के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पथ निर्माण की **01 (एक)** अद्द योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madhubani	Kaluahi	SC	PWD Khajauli to Maal Tol Purbari	44	2.310	266	160.05
			Total			**2.310**		**160.050**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 23.05.2018 को निम्न शर्तों के साथ इन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मधुबनी** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मधुबनी** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मधुबनी** योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Biding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यो का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

6. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मधुबनी** द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-326/16 के पृष्ठ–53/टि0 पर प्राप्त है।

12. प्रस्तावित योजना के लिए बजटीय उपबंध वर्ष 2016–17 में किया गया है, जिसकी निकासी कर PL खाता में रख दिया गया है। इसी राशि से इस योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

17. वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53/2007–3758 वि0, दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजनाओं में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53/2007–3758 वि0, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं BRRDA(HQ)-MMGSY-326/16 के पृष्ठ–53/टि0 पर दिनांक 23.05.2018 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-326/16 पृष्ठ संख्या–59 /टि0 पर दिनांक 18-6-18 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-326/2016 - 537 /पटना, दिनांक– 20.6.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उपविकास आयुक्त, मधुबनी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, पटना/मुख्य अभियंता–4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **मधुबनी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)